आई०डी०सं०-81/1718 (01)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

वितरण शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या 102760 22/6/17

1. आवेदक का नाम :— देवानन्द

2. पूरा पता :— सहायक अभियन्ता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर-842001

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा :—

(क) पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4866 (S) दिनांक 06-06-2017 की छाया प्रति।

(ख) पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आरक्षी अधीक्षक, जमुई को जून, 2017 में प्रेषित पत्र की छाया प्रति।

613/सू०का० (अ०उ०)
23.6.17

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग के प्रशाखा-2 की संचिका से संबंधित है।

सू०का०
23.6.17

अनुलग्नक :-
10 रूपए का
पोस्टल आर्डर
सं० -41F 667718

देवानन्द
22-06-17
(देवानन्द)
सहायक अभियन्ता (अनुश्रवण)
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर।

प्रो० आई०
27/6

(05)

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

<u>बिहार सरकार</u>

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

नि॰शाखा
कृपया अग्रि
निर्गत करें।
18-07-17

पत्र संख्याः—**लो.सू.को./आई0डी0सं0—81/17—18** 4142(E) पटना, दिनांक— 18/7/17

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)—सह—लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

<u>स्पीड पोस्ट</u> सेवा में,

श्री देवानन्द,
सहायक अभियंता (अनुश्रवण),
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
मुजफ्फरपुर—1, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर—842001

महाशय,

यह आपके सूचना—आवेदन दिनांक—22.06.2017, जो इस विभाग में दिनांक—22.06.2017 को प्राप्त हुआ है, (**आई0डी0सं0—81/17—18**) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, उप सचिव (प्र०को०), प्रभारी प्रशाखा—02, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—6221(S) दिनांक—12.07.2017 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
18.7.17
(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक— 4142(E) पटना, दिनांक— 18/7/17

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—02, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—6221(S) दिनांक—12.07.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

18.7.17
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग
कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन संख्या 18105
19-7-17

04

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : प्र०2/स्था०-सूचना-20-19/2017 6221(S) पटना, दिनांक 12/7/17

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार
उप सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-
लोक सूचना पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् श्री देवानन्द द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में (आई०डी० संख्या-81/17-18)।**

प्रसंग विभागीय पत्रांक-3219 (ई०) दिनांक 28.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सूचना-आवेदन दिनांक 22.06.2017 से मांगी गयी सूचना सामग्री विभागीय पत्र संख्या-4866 (एस) दिनांक 06.06.2017 की प्रति **संलग्न** की जाती है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

12/7/17

उप सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

727/प्र०को०
14.7.17

D:\Manoj Kumar.doc\Suchana ka adhikar.doc

03 (3)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : प्र०2/मुक०–27/2011 4866 (S) पटना, दिनांक 06.6.17

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

श्री जयन्त कान्त
पुलिस अधीक्षक
जमुई।

विषय : **सिकन्दरा (जमुई) थाना कांड संख्या–143/91 दिनांक 07.04.1991 के अभियुक्त श्री देवानन्द तत्कालीन कनीय अभियंता, अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना के विरूद्ध आरोप पत्र दायर करने के संबंध में।**

प्रसंग : आपका पत्रांक–2394 दिनांक 30.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम मे कहना है कि विषयांकित थाना कांड के तीसरे नामजद अभियुक्त श्री देवानन्द, तत्कालीन कनीय अभियंता, अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना के विरूद्ध अनुसंधानोपरांत आरोप–पत्र का साक्ष्य पाये जाने की जानकारी दी गयी है तथा उनकी गिरफ्तारी के बाद आरोप–पत्र दायर होने की सूचना, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिये जाने का उल्लेख है। परंतु श्री देवानन्द के विरूद्ध अद्यतन आरोप पत्र दायर किये जाने की सूचना आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

विदित हो कि कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से सहायक अभियंता में प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु इनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–...../2016 (देवानन्द बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया है जिसमें सम्प्रति प्रतिशपथ–पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है। चूँकि यह मामला न्यायवाद से अच्छादित है जो गंभीर प्रकृति का है।

अतः अनुरोध है कि श्री देवानन्द के विरूद्ध विषयांकित लंबित मामलों में यथाशीघ्र आरोप–पत्र दायर करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

2.6.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : प्र०2/मुक०–27/2011 4866 (S) पटना, दिनांक 06.6.17

प्रतिलिपि : जिला अधिकारी, जमुई को सूचना एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : प्र०2/मुक०–27/2011 4866 (S) पटना दिनांक 06.6.17

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

2.6.17
सरकार के प्रधान सचिव।